सेवा में

1. हरियाणा के सभी वित्तायुक्त /
3. हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिव।

प्रशा- क्रमांक 5025–1 जी: एस: 1–73/ , दिनांक चण्डीगढ़ 8-9-72
5761-5 जी. एस. 1-74/29782

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणा सरकार के सभी विभागाध्यक्ष,
आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी (सिविल)।
2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट चण्डीगढ़ तथा हरियाणा राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

दिनांक चण्डीगढ़, 17 दिसम्बर, 1974

विषय: कामन कैटेगरीज के पदों की भर्ती।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपको यह कहने का निदेश हुआ है कि अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल हरियाणा के अनुरोध पर हरियाणा सरकार राज्य सेवाओं में ऐसे पदों, जिनकी ड्यूटीज, योग्यताएं तथा वेतनमान एक जैसे हों, जैसे कि लिपिक, सहायक, आशुलिपिक, ड्राईवरों इत्यादि के पद, को कामन कैटेगरीज के पद निश्चित करने पर विचार कर रही है, ताकि सभी विभागों के ऐसे पदों की भर्ती के लिए प्रवरण मण्डल द्वारा एक ही विज्ञापन जारी किया जा सके। इस लिए ऐसे पदों के बारे में पूर्ण स्थिति जानने के लिए आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप अपने विभाग में आशुलिपिक, लिपिक तथा ड्राईवर्ज के पदों के लिए नियमों में निर्धारित योग्यताओं के बारे सूचना शीघ्र इस विभाग को भेजें इसके इलावा आपके विभाग में आशुलिपिक/लिपिक/ड्राईवरों के जितने पद स्वीकृत हैं उनके बारे भी सूचना प्रत्येक पद के लिए अलग तौर पर भेजी जाए।

हस्ता/-
भवदीय
अधीक्षक, सामान्य सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति :

1. वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा सरकार, तथा
2. हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिवों, को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

हस्ता/-
अधीक्षक, सामान्य सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा सरकार,
2. हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव।

प्रशा: क. 5761-5 जी. एस.-I-74. दिनांक 17 दिसम्बर, 1974
पृ० क्रमांक 5761-5 जी. एस. I-74/29783 दिनांक 17-12-1974

एक प्रति सचिव, अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल, हरियाणा, चण्डीगढ़ को उनके पत्र क्रमांक 3 आर (III)-74/804 दिनांक 28-10-74 के संदर्भ में भेजी जाती है। उनसे अनुरोध किया जाता है कि जितनी देर तक सभी कार्यालयों में काम कैटेगरी के पदों की योग्यताएं एक जैसी नहीं कर दी जाती उतनी देर तक सभी विभागों की मांग को इकट्ठा करके विज्ञापित किया जाएं और जितनी देर तक ऐसा नहीं किया जाता उतनी देर तक अलग अलग से ही ज्ञापन जारी किए जाएं।

हस्ता/-
अधीक्षक, सामान्य सेवाएं